200 40 निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस), निष्पादन संबद्ध भुगतान (पीआरपी) और उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) से संबंधित कुछ मुद्दों के बारे में स्पष्टीकरण

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 30.05.2011 को चंडीगढ़ में निष्पादन प्रबंधन प्रणाली पर आयोजित इस विभाग की कार्यशाला की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिसमें कुछ ऐसे मुद्दे उभरकर सामने आए, जिनकी भविष्य में जांच करना आवश्यक समझा गया। तदनुसार, इस संबंध में निम्नलिखित के बारे में स्पष्ट करने का निश्चय किया गया है :

(i) डीपीई के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध–III के बिंदु संख्या (iii) में उल्लिखित 'वेल कर्व एप्रोच' का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी सीपीएसई में 10% कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों को ''पीएआर से नीचे'' ग्रेड दिया जाना चाहिए और उन्हें कोई पीआरपी का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार किसी सीपीएसई में 15% से अधिक कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों को ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्रदान न की जाए।

(ii) पीआरपी के वितरण के लिए 'कैलेंडर वर्ष' के बजाय 'वित्तीय वर्ष' को अपनाया जाए।

(iii) 2007 अथवा यहां तक कि 1997 के वेतन संशोधनों के प्रयोजन से उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) की गणना चर वेतन के भुगतान अथवा निष्पादन संबद्ध भुगतानों के लिए न की जाए अथवा इसको लेकर कोई भ्रम उत्पन्न न हो। जहां एक ओर पीआरपी पूरी तरह से किसी सीपीएसई के लाभ पर निर्भर/आधारित होती है, वहीं दूसरी ओर पीएलआई उनपर आश्रित नहीं होती। अतः पीएलआई का वितरण पीआरपी के स्थान पर जारी नहीं रखा जा सकता है और पीएलआई, यदि कोई है, का वितरण अलग–अलग कार्यपालकों के मूल वेतन की अनुलब्धियों और भत्तों की अधिकतम 50% की सीमा के भीतर ही किया जा सकता है।

(iv) 2007 के वेतन संशोधन संबंधी कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत अन्य बातों के साथ–साथ पीआरपी के वितरण हेतु पीएमएस एक पूर्व अर्हता है। यदि कोई सीपीएसई किसी भी कारण से पीआरपी का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, तो भी वह एक सुदृढ़ और पारदर्शी पीएमएस को लागू कर सकता है, जो सीपीएसई को बेहतर निष्पादन करने में समक्ष बनाएगा, जिसके फलस्वरूप लाभ हो सकता है और पीआरपी का वितरण किया जा सकता है।

2. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई की सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु उपयुक्त अनुदेश जारी करने का अनुरोध है।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2 (21)/2011–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–**XIII**/2011, दिनांक 06 जुलाई, 2011)

*****